

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक ०३/०२/२०२१

क्रमांक एफ 1-80/2019/38/1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को अंग्रेजी विषय के लिए सहायक प्राध्यापक के पद पर प्रारम्भिक वेतन रु. 57,700/- के साथ अकादमिक स्तर 10 में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में आगामी आदेश तक पदस्थापना देते हुए अस्थाई रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है -

क्रं.	लो.से.आ. की चयन सूची का क्रमांक/ चयन सूची का वर्ष	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय, जहां आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।
1	36/2019	सुश्री अनुराधा तिवारी म.नं. 6, अ., संत तुलसी अपार्टमेंट, बूटी रोड़, रांची (झारखण्ड) 834009	शासकीय महाविद्यालय, बैढन, जिला सिंगरौली

2. मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम-1990 के नियम-22 के अनुसार ये नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी।
3. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में नियुक्त उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
4. उपर्युक्त नियुक्ति मेडीकल बोर्ड से उपयुक्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है। मेडीकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
5. अस्थायी नियुक्ति के दौरान यह सेवा किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
6. नियुक्ति आदेश के अनुसार पदभार ग्रहण करने पर नियुक्त किए गए सभी उम्मीदवार राज्य शासन के सेवक होंगे तथा ये राज्य-शासन द्वारा शासकीय सेवकों के संबंध में जारी तथा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत नियुक्ति के उक्त पद पर एवं श्रेणी पर लागू सभी अधिनियम, नियम, आदेश एवं परिपत्र से शासित होंगे एवं इनका पालन करना इनके लिए अनिवार्य होगा। विशेषतः नियुक्त उम्मीदवारों की सेवाएँ मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम-1990, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की शर्तें) नियम, 1961 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं इन नियमों के संशोधनों के अध्याधीन होंगी।
7. वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होगा, नियुक्त उम्मीदवारों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना की पात्रता होगी। इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनांक 2.4.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होगा।
8. यदि किसी उम्मीदवार ने राज्य सरकार के किसी अन्य शासकीय विभाग में वर्ष 2005 के पूर्व से सेवारत रहते हुए इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने से पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त की है तथा उच्च शिक्षा विभाग की सेवा में वह कार्यभार ग्रहण करता है तो पूर्व विभाग की सेवा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के तहत मान्य करने हेतु उसके द्वारा नियमानुसार आवेदन करने पर शासन स्तर से उक्त नियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।

03/02

9. नियुक्त उम्मीदवार के द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त(5) के अंतर्गत देय रकम उससे भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल होगी।
10. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियमानुसार आरक्षित संवर्ग के उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि प्रदायकर्ता से कराने पर त्रुटि पायी जाती है तो संबंधित की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त मान्य होंगी।
11. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-3/2013/आ.प्र./एक,भोपाल,दिनांक 17.07.2014 के अनुसार नियुक्त निःशक्तजनों के निःशक्तता प्रमाण - पत्र का परीक्षण कार्यभार ग्रहण कराये जाने के पूर्व संबंधित जिला मेडीकल बोर्ड से कराया जाये। जांच में 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता पाई जाती है तभी उनको प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जाये, अन्यथा नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2015/आ.प्र./एक,भोपाल,दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक-बधिर श्रेणी के निःशक्तजनों के लिए बैरा-टेस्ट कराना अनिवार्य है।
12. नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व सभी अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन विभाग द्वारा किया गया है, तथा शासकीय सेवा हेतु आवश्यक शपथ-पत्र लिए गए हैं। अभ्यर्थियों से वांछित अभिलेखों तथा शपथ-पत्रों की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। पदभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित प्राचार्य उन सभी अभिलेखों की एक सत्यापित प्रति नियुक्त अभ्यर्थी से प्राप्त करेंगे जो उन पर लागू होते हैं तथा मूल अभिलेखों से मिलान करेंगे सही पाये जाने पर उक्त अभिलेख सेवा - पुस्तिका में संधारित किये जाएँगे। यदि अभिलेखों के आधार पर कोई गंभीर त्रुटि पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य विशेष वाहक के द्वारा वस्तुस्थिति के उल्लेख के साथ पत्र भेजकर शासन से तत्काल समाधान प्राप्त करेंगे तथा समाधान प्राप्त होने पर निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे।
13. शासकीय नियमानुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिन्हें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
14. शासकीय या अर्धशासकीय विभाग/निकाय में कार्यरत उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण के समय पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र या धारणाधिकार स्वीकृति का पत्र या त्यागपत्र स्वीकृति का पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार द्वारा इस चयन के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने नियोक्ता से ली गई अनुमति का पत्र प्रस्तुत करने पर प्राचार्य द्वारा सशर्त कार्यभार ग्रहण कराया जा सकेगा, परन्तु वेतन का आहरण अनिवार्य अभिलेख को प्रस्तुत करने तक लंबित रखा जाएगा।
15. यदि इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में चयनित पद एवं स्थान पर नियुक्त उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तथा नियुक्तकर्ता से कार्यभार ग्रहण करने की अवधि यथोचित कारणों से बढ़ाने की अनुमति भी नहीं प्राप्त की गई तो नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
16. इस आदेश द्वारा नियुक्त सभी उम्मीदवारों की नियुक्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में संस्थित SLP (C) Diary No. 11690 of 2020 तथा SLP (C) Diary No. 13126 of 2020 में दिए जाने वाले अंतरिम आदेशों/अंतिम आदेशों के अध्याधीन रहेगी। माननीय न्यायालय के आदेशों के परिप्रेक्ष्य में यह नियुक्ति आदेश कभी भी संशोधित किया जा सकता है एवं किसी नियुक्त उम्मीदवार की सेवा उपरोक्त कंडिका (5) से मुक्त होकर तत्काल प्रभाव से शासन द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

2/2/2

17. इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1)के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है, तथा उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Alo3/02/21
(श्वेता पवार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 03/02/2021

पृ. क्रमांक एफ 1-80/2019/38/1

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग,
2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल,
6. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.,
7. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल,
8. संबंधित संभागीय/जिला चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.,
9. संबंधित जिला कोषालय, अधिकारी, म.प्र.,
10. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, म.प्र. की ओर लेख है कि संबंधित सहायक प्राध्यापक द्वारा महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत विभागीय बेवसाईट पर जानकारी अपलोड कराना सुनिश्चित करें,
11. संबंधित.....
12. गार्ड फाईल,
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Alo3/02/21
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग